न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 06 / 2019

1– श्री दुर्गालाल पुत्र श्री उगमा, जाति माली, निवासी नाडी (घटियाली), तहसील सावर, जिला अजमेर।
2– श्री रोडू पुत्र श्री मांगीलाल, जाति माली, निवासी नाडी (घटियाली), तहसील सावर, जिला अजमेर।

.....*प्रार्थीगण*

बनाम

1– श्री प्रहलाद पुत्र श्री रामलाल, जाति मीणा, निवासी घटियाली, तहसील सावर, जिला अजमेर।
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर।

.....**रेस्पोन्डेन्टस**

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थित :– 1– श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील प्रार्थीगण की ओर से।
2– श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक–13.04.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 07.02.2013 को ग्राम पंचायत घटियाली में आयोजित प्रशासन गांव के संग शिविर में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर श्री प्रहलाद पुत्र श्री रामलाल, जाति मीणा, निवासी घटियाली, तहसील सावर, जिला अजमेर के पक्ष में ग्राम घटियाली स्थित सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 1031 रकबा 1.58 हेक्टर में से नवीन खसरा संख्या 1031/1 रकबा 0.75 हेक्टर भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किये गये विवादित भूमि के आवंटन को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्व बताते हुए आवंटन निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अभिभाषक उपस्थित हुए किन्तु वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब नोटिस पेश नहीं किया। पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

बहस हेतु निश्चित दिन वकील अप्रार्थी संख्या 1 के अनुपस्थित रहने पर वकील प्रार्थीगण व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

संख्या 1 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन, न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 के सब क्लॉज 4 के तहत ग्राम की आबादी के लगवा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नहीं किया जा सकता। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा इस महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु को नजरअंदाज कर नियम विरूद्ध आवंटन किया गया है। उन्होने कथन किया कि आवंटन नियम 1970 के नियम 4 (V) (f) में दर्शित किया गया है कि ग्रेवल/कच्चे रोड़ के लगवा भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऐसी आराजी सरकार की बेशकीमती भूमि होती है जबकि आवंटित भूमि के लगवा कच्चा रोड़ बना हुआ है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में नियम 4 (V) (f) विरूद्ध जाकर आराजी का आवंटन किया है। वकील प्रार्थी का आगे कथन है कि नायब तहसीलदार सावर द्वारा Unoccupied Government Land की सूची उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिये थी किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं कर आवंटन नियम 1970 के नियम 5 व प्रक्रिया की पालना नहीं की गई। आवंटनशुदा विवादित भूमि पर प्रार्थीगण के मकान व बाड़े बने हुए हैं। बिना कब्जे की जांच किये विवादित भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 को किया गया आवंटन नियम 5 के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। आवंटन सलाहकार समिति ने इस महत्वपूर्ण विधिक बिन्दु की कोई पालना नहीं की कि आवंटन नियम 1970 के नियम 7 के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी किया जाना अनिवार्य था किन्तु उक्त आवंटन करते समय कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गई। केवल सरसरी तौर पर प्रशासन गांवों के संग अभियान में कागजी कार्यवाही करते हुए आवंटन कर दिया गया। अपने कथनों के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान RRT 2021(2) पेज 1140 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित किया। उन्होने यह भी कथन किया कि आवंटन नियम 1970 के नियमों के तहत आवंटी को 3 वर्षों में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आवंटन नियमों की शर्तों की पालना नहीं किये जाने से आदिनांक भी अप्रार्थी के पक्ष में गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण तस्दीक नहीं हुआ है। उन्होने अपनी बहस जारी रखते हुए कथन किया कि विवादित आराजी में ग्रेनाईट पत्थर होने से पूर्व में खनन विभाग द्वारा पट्टा जारी किया गया था जिसे बाद में निरस्त किया जाकर आराजी के चारों ओर खनिज विभाग द्वारा खान संचालित की जा रही है। इस प्रकार विवादित आराजी मूल्यवान राजकीय भूमि होने से भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवंटन नहीं किया जा सकता था किन्तु विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर आराजी का आवंटन किया गया। उनका आगे कथन है कि आवंटी ग्राम घटियाली का मूल निवासी नहीं होकर मूल रूप से ग्राम भरणी, तहसील व जिला टोंक का निवासी है जबकि आवंटन ऐसे व्यक्ति को किया जा सकता है जहां का वह मूल निवासी हो। वरवक्त आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं आता था जबकि राजस्व रेकॉर्ड अनुसार उसकी खातेदारी में कृषि आराजी दर्ज थी। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा तथ्यों को छिपाकर दुर्व्यपदेशन से विवादित आराजी का आवंटन करवाया है। अपने कथनों के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान RRT 2021(1) पेज 740 व RRT 2014(2) पेज 797 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित किया। साथ ही आवंटन प्रार्थना पत्र में भू–अभिलेख निरीक्षक के हस्ताक्षर के नीचे ना तो मोहर अंकित है एवं ना भू–धारक द्वारा भूमि आवंटन

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

बाबत कोई अनुशंषा ही की गई है। केवल मात्र पटवारी हल्का की अनुशंषा के आधार पर नियमों के विपरीत जाकर आवंटन किया गया है। विवादित आराजी के सम्बन्ध में सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड केकड़ी के न्यायालय में सिविल वाद प्रस्तुत किया गया था जो वर्तमान में भी विचाराधीन है। वाद के विचाराधीन रहते हुए विवादित आराजी का अप्रार्थी संख्या 1 को किया गया आवंटन राजस्थान ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट की धारा 52 के तहत हिट होता है। अतः आवंटन नियम विरूद्ध किया गया है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन निरस्त किया जावे।

वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में पैरोकार सरकार का कथन है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विधिक रूप से पूर्ण जांच पश्चात आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों की अनुशंषा पर आवंटन नियमों के परिपेक्ष्य में विवादित भूमि का आवंटन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर में अप्रार्थी संख्या 1 अनुसूचित जनजाति का भूमिहीन काश्तकार होने के कारण आराजी आवंटित की गई है। प्रार्थीगण केवल शिकायतकर्ता है उनके द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि हडपने की मंशा से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन यथावत रखा जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाई जाकर विवादित भूमि का आवंटन किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में भूमि आवंटित की गई है। विवादित भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में वर्ष 2013 में आवंटन किया गया था। लगभग 10 वर्ष की अवधि के पश्चात अप्रार्थी के पक्ष में किए गए विवादित भूमि के आवंटन को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। हालांकि नियम 14(4) के अन्तर्गत आवंटन निरस्त करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है किन्तु केवल मात्र ऐसे आवंटन को निरस्त करवाया जा सकता है जो छल, कपटपूर्वक तथा तथ्यों को छिपाकर करवाया गया हो अथवा आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया हो। प्रकरण में ऐसे कोई तथ्य उजागर नहीं हुए है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि आवंटी/अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विवादित भूमि का आवंटन छल कपटपूर्वक व तथ्यों को छिपाकर करवाया गया है। प्रार्थीगण का यह कथन भी गलत है कि विवादित भूमि पर उनका कब्जा चला आ रहा है एवं मकान व बाड़े इत्यादि बने हुए हैं। प्रार्थीगण द्वारा अपने उक्त कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गई है। प्रार्थीगण द्वारा कोई राजस्व रेकॉर्ड अथवा दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं जिससे यह तथ्य सिद्ध होता है कि आराजी का आवंटन ग्रेवल/कच्चे रोड़ अथवा आबादी के लगवा किया गया है। वकील प्रार्थीगण द्वारा आवंटी के ग्राम भरणी, जिला टोंक का मूल निवासी होने सम्बन्धी साक्ष्य भी पेश नहीं की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति से अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम नाडी, तहसील केकड़ी का निवासी होना प्रकट होता है।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन यथावत रखा जाता है।

आदेश आज दिनांक 13.04.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह)
(राजेन्द्र सिंह)
अपर कलक्टर
अपर कलक्टर अजमेर
अजमेर